निखिल जैन बनाम ... 54/24

18/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रार्थीगण उप०। बाद विड्रो बावत् प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली दिनांक 04/11/2024 से आज दिनांक 18/10/24 को तलब की गई। वादी का बाद विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज किया जा चुका है। इसलिए T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है इसलिए वादी का प्रा० पत्र विड्रो मूलवाद के होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा सेक्ट

P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.03 16:14:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner